न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 31/20 GCMS NO 2020/00044

1. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. सुरेश चन्द
3. महेश चन्द
4. राजेन्द्र कुमार पिसरान कल्याण प्रसाद जातियान महाजन निवासीयान बेरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. सतीश चन्द पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी बेरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. कम्पूरी देवी पत्नि स्व0प्यारेलाल जाति मीना निवासी बेरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा टोडाभीम जिला करौली
4. शाखा प्रबंधक बैक आफ बडौदा शाखा बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. तहसीलदार तहसील टोडाभीम

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 33/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.20 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रिषीराम मीना

दिनांक 27.05.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.20 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बाबत तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बेराज स्थित आराजीयात ख0न0 544/1.02,545/0.04 किस्म गै0मु0 कुंआ, 546/1.56 कुल किता 3 कुल रकबा 2.62 है0 मे वादी का 4/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 का 2/15 हिस्सा , प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 5 का 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पूर्व खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र रामसहाय ने अपने 1/6 हिस्से मे से जरिये इकरारनामा दिनांक 24.3.12 को 1 लाख 25 हजार रूपये मे 100/–रूपये के स्टाम्प पर अपने 1/6 हिस्से मे से 1/9 हिस्से को वादी को [illegible] र मौके पर कब्जा करा दिया गया। लेकिन शिम्भूदयाल के मरने के पश्चात शिम्भूदयाल के [illegible] की आराजीयात का नामा0 उसके वारिसानो सुशीला देवी,मदनमोहन,मु[illegible] बिना कब्जे के [illegible] प्रतिफल के प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड विकय [illegible] गलत रूप से विक्र[illegible] दिया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र को केसिलेशन की वादी द्वारा सक्षम न्यायालय मे अलग से कार्यवाही की जा रही है। उक्त आराजी पर मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसमे वादी ने अपने 4/9 हिस्से की तथा पूर्व खातेदार शिम्भूदयाय से जरिये इकरारनामा खरीद की गई 1/9 हिस्से की डोल मेड कर रखी है और मौके पर काबिज चले आ रहे है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 4 के मध्य आये दिन डोलमेड पर विवाद बना रहता है और विधिवत बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादी न0 2 ता 4 ने पूर्व खातेदार कान्ता देवी गुडडू सुनील के 1/18 हिस्से की खरीद की गई जमीन पर कब्जा नही होने के कारण विवाद बना रहता है। बांका दिनांक 22.2.18 का है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने हेतु तहसील मे चलने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। तथा प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने धमकी दी कि तुम जो शिम्भूदयाल के 1/9 हिस्से पर काबिज हो उस जमीन को खाली कर दो तो हम तुम्हारे हिस्से व उक्त आराजीयात को किसी लठठ वाले व्यक्ति को विक्रय कर देगे। वादी ने ऐसा नही करने को कहा तथा प्रतिवादी न0 2 ता 4 ने कहा कि हमने पूव्र खातेदार कान्ता देवी पत्नि देवीसहाय ,गुडडू, सुनिल पिसरान देवीसहाय से खरीद की गई 1/18 हिस्से की जमीन को तुम्हारे कब्जे की भूमि पर हम कब्जा करेगे क्योकि हमारे डण्डे मे ताकत है या फिर तुम्हारे कब्जे की आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे। क्योकि अभी उक्त भूमि का बंटवारा नही हुआ है वादी ने ऐसा अन्याय नही करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नही हुए है। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा बाबत तकासमा आराजीयात डिक्री किया जावे कि ग्राम बैरोज स्थित आराजीयात खसरा न0 544/1.02, 545/0.04 किस्म गैर मुमकिन कुआ , 546/1.56 कुल किता 3 कुल रकबा 2.62 है0 मे वादी के 1/9 हिस्से का तकासमा कराये जाने बाबत तकासमा स्कीम तलब फरमाई जावे। एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की भूमि व कब्जे की भूमि से बेदखल नही करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि ... मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ... बंटवारा स्कीम दिनांक 22.1.20 पेश की गई थी तथा उक्त बंटवारा स्कीम को अपीलांट/प्रतिवादीगण के एतराज को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनकर और मंजूर करते हुए उक्त बंटवारा स्कीम को निरस्त कर पुनःबंटवारा स्कीम हेतु आदेशित किया गया था। तत्पश्चात तहसीलदार ने पटवा... स गिरदावर हल्का के साथ दिनांक 5.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2020.10.10 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2.20 को पुनः बंटवारा स्कीम तैयार की गई। जो अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक पुनः मौके पर ना जाकर पूर्व की बंटवारा स्कीम तारीखी 20.1.20 को ज्यो की त्यो ही आफिस मे बैठकर तेयार कर दी है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक अपीलांट/प्रतिवादीगण दिनांक 5.2.20 को मौके पर उपस्थित थे। उक्त दिनांक को तहसीलदार व कोई भी कर्मचारी मौके पर भूमि की नाप करने व बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु नही आये और तहसीलदार व उनके कर्मचारियो ने वसाज रेस्पो0 न0 1/वादी पूर्व की बंटवारा स्कीम ज्यो की त्यो खिलाफ मौका व आदेश अधिनस्थ न्यायालय पेश कर दी । जिस पर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा ऐतराज करने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ऐतराज करने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ऐतराज को नजर अंदाज कर गलत व साजिशी बंटवारा स्कीम के मुताबिक गलत व खिलाफ कानून डिक्री व निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व की बंटवारा स्कीम तारीखी 20.1.20 पर इस आधार पर ऐतराज किया गया कि ना तो मौका देखा गया और नां ही कोई मुकदमा पक्षकारान के कब्जानुसार नाप की गई और ना ही प्रतिवादीगण की बंटवारा स्कीम पर कोई हस्ताक्षर कराये गये। जिसे मंजूर करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा स्कीम निरस्त की है। तत्पश्चात पुनः बंटवारा स्कीम हेतु भी संबंधित तहसीलदार व गिरदावर द्वारा वही बंटवारा स्कीम की पुनारावृति कर दी गई। जिस पर ऐतराज करने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व विधि विरूद्व तरीके से उक्त बंटवारा स्कीम पर आंख मूदकर विश्वास कर खिलाफ कानून पारित किया है जो जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित बंटवारा स्कीम तारीखी 5.2.20 मे अपीलांट/प्रतिवादीगण को खसरा न0 544/1 रकबा 38 ऐयर, 546 रकबा 35 ऐयर व खसरा न0 546/2 रकबा 13 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 86 ऐयर दिया गया तथा सतीश चन्द रेस्पो0/प्रतिवादी न0 1 को खसरा न0 544 रकबा 64 ऐयर व खसरा न0 546/1 रकबा 51 ऐयर दिया गया तथा राजस्व शीट मे अपीलांट/प्रतिवादी को खसरा न0 546/2 रकबा 13 ऐयर जो दिया गया है वह खसरा न0 546/1 के पूर्व मे एक गुलीनुमा आकार मे दिया गया, जबकि अपीलांट/प्रतिवादी का उक्त स्थान पर कब्जा न होकर खसरा न0 546 के पश्चिम से सटवा ही उक्त रकबे पर कब्जा है। अर्थात अपीलांट/प्रतिवादी का खसरा न0 546/2 का करबा खसरा न0 546 के पश्चिम मे ही लगेवा है मगर तहसीलदार द्वारा वरबक्त बंटवारा स्कीम गलत व बसाज वादी उक्त ख0न0 546 के पश्चिम मे न दिया जाकर खसरा न0 546/1 के पश्चिम मे दे दिया जो कि किसी भी सूरत मे संभव नही है। उक्त स्थिति के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना करके निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है। जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। मुताबिक बंटवारा स्कीम तारीखी 5.2.20 खसरा न0 546/2 रकबा 13 ऐयर पर प्रतिवादी संख्या 5 कम्पूरी देवी पत्नि प्यारेलाल [illegible] बताया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की मौके पर 13 ऐयर भूमि कम काश्त [illegible] हैतो ऐसी सूरत मे उक्त खसरा न0 546/2 रकबा 13 ऐयर किस आधार [illegible] नाम बंटवारा स्कीम मे डाला गया और इस संबंध मे अधिनस्थ [illegible] निर्देशन क्यो प्राप्त नही किया गया। इस संबंध मे कोई तथ्य बंटवारा स्कीम मे अंकित नही है और [illegible]ना ही अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अंकित है। जबकि उक्त दावा तकासमा का है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot .
Date: 2025.10.10 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

को नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है। जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अपना कब्जा खसरा न0 546 के रकबे 35+13= 48 ऐयर पर होना बंटवारा स्कीम तारीखी 5.2.20 के ऐतराज मे स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय को बताया है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को इग्नोर कर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये गये है जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। बंटवारा स्कीम पर वादीहु के अलावा किसी भी प्रतिवादी के या मौके के किसी गवाहान के कोई हस्ताक्षर नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया कानूनन बंटवारा स्कीम मौके पर तैयार करना विश्वसनीय स्पष्ट रूप से प्रतीत नही होती है। बल्कि बसाज वादी साजिशी तौर पर तैयार करना स्पष्ट प्रतीत होती है। क्योंकि वादी स्वयं रेवेन्यू विभाग मे नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहा है और उसने अपने उक्त प्रभाव का उपयोग कर उक्त तहसीलदार व गिरदावर पटवारी हल्का से साज कर गलत तरीके से बंटवारा स्कीम दोनो बार ही तैयार करवाकर पेश करा दी। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण स्थिति को ओवरलूक करते हुए निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर खसरा न0 546/2 रकबा 13 ऐयर की भूमि रेस्पो0 न0 1/वादी को दी जावे तथा रेस्पो0 न0 1/वादी के खसरा न0 546/1 रकबा 51 ऐयर मे से पूर्वी तरफ की 13 ऐयर भूमि कम की जाकर उसे अपीलांट/प्रतिवादीगण के खसरा न0 546 रकबा 35 ऐयर मे जोडा जाकर उसका रकबा 48 ऐयर फरमाया जावे। बसूरत दींगर निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि पुनः पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति मे व उनके हस्ताक्षर करवाकर मुताबिक मौका बंटवारा स्कीम तैयार की जावे तथ अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद अपीलांट/प्रतिवादी साबित हो वह भी फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत व न्याय पूर्ण तथा कानूनन सही है। अपीलार्थीगण का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि दिनांक 5.2.20 को मौका कमिश्नर मौके पर नही पहुँचे व नाप नही की क्योकि अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.2.20 को अपनी लिखित आपत्ति मे लिखा है कि मौका कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे व उनके बातचीत हुई जो शामिल पत्रावली है। मौका कमिश्नर द्वारा 22.1.20 को भी दोनो पक्षो के समक्ष नाप की और कब्जे अनुसर बंटवारा स्कीम तैयार की गई परन्तु अपीलार्थीगण की आपत्ति पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 28.1.20 को दोनो पक्षो दिनांक 5.2.20 को मौके पर पुनः उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया व सूचित किया। दोनो पक्षो के हस्ताक्षर भी दिनांक 28.1.20 की प्रोसिडिंग मे है। उसी अनुसार मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 5.2.20 को मौके पर पहुँचे व दोनो पक्षो के स[illegible]या नाप की गई व कब्जे अनुसार भूमि बताई गई तथा बंटवारा स्कीम मौके [illegible] पर अपीलार्थीगण ने हस्ताक्षर नही किये। खसरा न0 546/2 रकबा 0.13 है0 भूमि वही [illegible] अपीलार्थीगण संख्या 2 से 4 द्वारा कान्तादेवी,गुडडु,सुनील के हिस्से की खरीदी गई भूमि थी। [illegible]पीलार्थीगण द्वारा अपनी कयशुदा भूमि का हिस्सा जिसका नवीन खसरा न0 546/2 रकबा 0.13 है0 बना है, को जानबूझकर कम्पूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्नि प्यारेलालको संभला दिया है और मेरी कब्जेशुदा भूमि खसरा न0 546/1 रकबा 0.51 है0 मे से लेकर नया विवाद करना चाहते है। मौके पर मौका कमिश्नर द्वारा दोनो पक्षो के समक्ष भूमि नाप कर समझाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई व समझाईश की गई परन्तु अपीलार्थीगण का मूल उद्देश्य प्रार्थी से विवाद करना व झगडा करना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि ग्राम बेराज स्थित आराजीयात ख0न0 544/1.02,545/0.04 किस्म गै0मु0 कुंआ, 546/1.56 कुल किता 3 कुल रकबा 2.62 है0 मे वादी का 4/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 का 2/15 हिस्सा , प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 5 का 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका विधिवत बंटवारा नही होने के कारण आपस मे विवाद की स्थिति होने के कारण वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा का वाद पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से दावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 10.12.19 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के बाबत तहसीलदार टोडाभीम को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा स्कीम चाही गई । तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे बंटवारा स्कीम दिनांक 22.1.20 को तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। उक्त बंटवारा स्कीम दिनांक 22.1.20 पर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र आपत्ति पर बहस सुनी जाकर प्रतिवादी/अपीलांट का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को दिनांक 5.2.20 को मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को पक्षकारान की मौजूदगी मे पुनः बंटवारा स्कीम तैयार करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा नियत दिनांक 5.2.20 को मौके पर जाकर पुनः पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार की गई। बंटवारा स्कीम पर वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है एवं प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन बंटवारा स्कीम पर है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन गलत साबित होता है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 5.2.20 मौके पर जाकर तैयार नही कर पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 22.1.20 को ज्यो की त्यो तेयार कर पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया था। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा स्कीम पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है एवं दुसरी बार प्राप्त बंटवारा स्कीम दिनांक 5.2.20 पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा स्कीम अनुसार तकासमा किया जाकर उसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश होने से इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:24 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 33/18 निर्णय व डिकी दिनांक 11.2.20 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:24 IST
Reason: SelfAttested